उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण
(उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)
वन भवन, 85 राजपुर रोड़, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135–2744077
Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांकः– 815 /3-2 बजट (NPV)/24-25 दिनांक 25 जनवरी, 2025

सेवा में,

समस्त सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक/उपनिदेशक तथा
क्रियान्वयन अभिकरण, उत्तराखण्ड कैम्पा।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2024–25 में वन विभाग के अनुदान संख्या–27 की राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा योजना के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2406–04–103–03–04 वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य" (NPV) मद में आवंटित किये गये बजट के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

संदर्भः– वित्त नियंत्रक वन विभाग, उत्तराखण्ड का पत्रांक नि0–1062/3–5 दिनांक 22 जनवरी, 2025।

महोदय,

विषयक प्रकरण में उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सदंर्भित पत्र से वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–27 की राज्य प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2406–04–103–03–04 वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य" (NPV) के मानक मद–42 अन्य विभागीय व्यय के अंतर्गत रू 228.25 लाख की धनराशि संबंधित प्रभागों को पत्र में उल्लिखित शर्तो एंव प्रतिबन्धों के साथ आवंटित की गई है। *बजट आवंटन से सम्बन्धित पत्र की प्रति कैम्पा वेबसाईड* www.ukcampa.org.in *पर fund released section में भी अपलोड है।*

अतः प्रश्नगत योजनान्तर्गत उक्त आवंटित धनराशि का उपयोग वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य (NPV) Nursery Raising (NPV) **गतिविधि हेतु भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य संलग्नक–1** के अनुसार कैम्पा के मानकों के अनुरूप पूर्ण करते हुए ससमय MIS प्रविष्टि करने के साथ ही निम्न दिशा निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें:–

1. राष्ट्रीय कैम्पा, भारत सरकार के पत्रांक–NA-15/2020-NA दिनांक 19.04.2024, पत्रांक–NA-15/2020-NA दिनांक 24.05.2024 पत्रांक–NA-15/2020-NA दिनांक 01.07.2024, (*कैम्पा वेबसाईड में अपलोड*) व शासकीय पत्रांक–1573/X-2-2024-12(07)2021(74356) दिनांक 11.10.2024 **(छायाप्रति संलग्न)** में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः पालन किया जाए।
2. **अन्य नियम व शर्तेः–**
   I. कार्यो का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
   II. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित *'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम–2016'* के अंतर्गत निर्गत *प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली– 2018'* में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।

उक्त के अतिरिक्त नियम 5(3) के अन्तिम प्रस्तर में निर्दिष्ट निम्न नियम का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए–
'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली– 2018' के नियम 5 के उपनियम (2) और (3) मे निर्दिष्ट कार्यकलाप राज्य सरकार के वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में वन भूमि पर किये जाने हैं, तो उक्त कार्यकलापों को कार्यपालक स्कीम के अनुसार किये जायेंगे;

और परन्तु यह कि राज्य सरकार के राज्य वन विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यपालक स्कीम के अनुसार वन भूमि पर उक्त कार्यकलाप ग्राम सभा या ग्राम वन प्रबन्धन समिति यथा स्थिति,के परामर्श से किये जायेंगे और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारम्परिक वन निवासी (वन अधिकरों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के उपबन्धो और इसके अन्तर्गत जारी दिशानिर्देशो, जहां कहीं लागू हो, के अनुरूप होंगे।

परन्तु यह भी कि यदि किसी मामले में उक्त कार्यकलाप उन क्षेत्रो में किये जाते हैं, जो अनुमोदित कार्य स्कीम द्वारा शामिल नहीं किये जाते हैं तब उप नियम (2) और (3) में अल्लिखित कार्यकलाप संबंधित ग्राम सभा या ग्राम वन प्रबन्धन समिति अथवा उस क्षेत्र पर अधिकार रखने वाले किसी प्राधिकरण के परामर्श से किया जायेगा और वे अनुसूचित जातियों और अन्य पारम्परिक वन निवासी (वन अधिकरों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के उपबन्धों और इसके अधीन जारी किये गये दिशानिर्देशों के अधीन जहां भी लागू हो, के अनुरूप होंगे।

   III. सभी स्थलीय कार्यों (Field Activities) की ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर प्रविष्टि के उपरांत ही सम्बन्धित व्यय के वाउचर लेखाबद्ध किये जायें।

IV. समस्त कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्राप्ति की वाउचर आधारित पूर्ण व सुस्पष्ट प्रविष्टि कैम्पा की MIS पर अनिवार्य रूप से की जाये, जिसमें अक्षांश व देशांतर (latitude & longitude), प्रासंगिक डाटा, सूचना, मानचित्र, KML फाइल व संपादित कार्यों के फोटोग्राफ्स (कार्य से पूर्व व कार्य पूर्ण होने के उपरांत) आदि सम्मिलित हों। इस प्रकार वाउचर आधारित प्रविष्टि MIS व मासिक लेखा (Classified) में समान होनी चाहिए।

V. कार्य को करायें जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत/ना हो/कराया न गया हो।

VI. उक्त धनराशि का व्यय, भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्रों में उल्लिखित सभी दिशा–निर्देशों/शर्तों के अनुसार किया जायेगा। साथ ही निर्माण कार्यों हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदित दर अनुसूची आधार के पर अनुमन्य मानकों अनुसार गठित आगणन व उस पर सक्षम स्तर से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्राविधिक, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासकीय पूर्व अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।

VII. कार्यों के संपादन हेतु समय–समय पर जारी समस्त संगत शासनादेशों/वित्तीय नियमों/प्रॉक्योरमेंट नियमावली का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

VIII. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक लेखा (E-7) व मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से निर्धारित प्रारूप पर उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।

IX. संपादित किये जाने वाले कार्यों में श्रम विभाग द्वारा समय–समय पर न्यूनतम मजदूरी दरों के सम्बन्ध में जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

X. अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में किया जाय।

XI. बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य संपादित न करायें जायें, अन्यथा की स्थिति में संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।

XII. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।

XIII. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए, जिसमें कार्य कराये जाने से पूर्व व कार्य कराये जाने के उपरांत लिया गया फोटोग्राफ, अल्पावधि के वीडियो क्लिप, जहां संभव हो वहां का ड्रोन शॉट व कार्य के सामाजिक–आर्थिक (Socio-Economic) प्रभाव सम्मिलित हों।

XIV. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर अनिवार्य रूप से सुस्पष्ट साईनेज स्थापित किया जाये, जिसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित", कार्य का नाम, वर्ष, स्थल का नाम, लागत, कार्य प्रभारी का नाम व अन्य सुसंसगत विवरण अंकित हो।

XV. स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जाय और अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित न किया जाय।

XVI. पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन संरक्षण प्रभाग), नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 10 अगस्त, 2018 के नियम (5) के विन्दु संख्या (4) के उपनियम (1) में निर्दिष्ट रकम का उपयोग उपनियम में उल्लिखित कार्यकलापों के लिए नहीं किया जाए।

XVII. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में सक्षम स्तर से अन्तिम स्वीकृति प्राप्त होने से पूर्व किसी भी दशा में क्षतिपूरक वनीकरण, IWLMP एवं मृदा जल सरंक्षण आदि कार्य न किया जाए।

XVIII. उक्त धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि ऐसे व्यय से शहरी निकायों/नगर निकायों के लिए वर्तमान में प्रभावी आदर्श आचार सहिता का उल्लघंन न हो।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 समीर सिन्हा)
प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांकः– 815 /3-2 बजट (NPV)/ 24-25 दिनांकित

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
4. मुख्य वन संरक्षक, कुमांऊ, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
5. समस्त सम्बन्धित वन संरक्षक/निदेशक, उत्तराखण्ड।

प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

वित्त नियंत्रक, वन विभाग उत्तराखण्ड के पत्रांक नि0–1062/3–5 (वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य) दिनांक 22–01–2025 से मानक मद 42–अन्य विभागीय व्यय के अन्तर्गत विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों को आवंटित रू0 228.25 लाख की धनराशि के सापेक्ष भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(धनराशि लाख में)

प्रभाग का नाम	Nursery Raising (NPV)	
	वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु अनुमोदित/स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना	आवंटित धनराशि
	भौतिक (पौंधों की संख्या)	
1	2	3
BAGESHWAR DIVISION	120000	16.08
Total NORTH KUMAON	**120000**	**16.08**
SC RAINIKHET	190000	25.52
Total SOUTH KUMAON	**190000**	**25.52**
Total KUMAUN ZONE	**310000**	**41.60**
SC UTTARKASHI DIVISION	150000	25.05
TEHRI DAM-1	100000	13.39
TEHRI DAM-2	200000	18.46
Total in BHAGIRATHI CIRCLE	**450000**	**56.90**
PAURI CS DIVISION	50000	7.84
BADRINATH DIVISION	100000	15.68
ALAKNANDA SC DIVISION	245000	38.42
Total in GARHWAL CIRCLE	**395000**	**61.94**
LANSDOWNE SC DIVISION	20000	2.53
DEHRADUN DIVISION	200000	30.00
Total in SHIVALIK CIRCLE	**220000**	**32.53**
Total GARHWAL ZONE	**1065000**	**151.37**
NANDADEVI NATIONAL PARK	65000	10.19
KEDARNATH DIVISION	160000	25.09
Total in WILDLIFE DIVISIONS	**225000**	**35.28**
Grand Total	**1600000**	**228.25**

Chief Executive Officer
Uttarakhand CAMPA

प्रेषक

हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार,
वित्त नियंत्रक,
वन विभाग, उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/
प्रभागीय वनाधिकारी, वन विभाग, उत्तराखण्ड।

देहरादूनः दिनांकः 22 जनवरी, 2025

विषय :– वित्तीय वर्ष 2024–25 में वन विभाग के अनुदान सं0–27 की राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा परियोजना के अन्तर्गत लेखाशीर्षक''2406–04–103–03–04 –वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य'' हेतु शासन से अवमुक्त बजट का आवंटन।

संदर्भ :– 1–शासनादेश संख्या 771/X-2-2024-12(07)2021(7479) दिनांक 09 मई, 2024 अलाटमैन्ट आई.डी-S24050270004 दिनांक 09.05.2024 आवंटित बजट ₹2,00,00,000/–(छायाप्रति पूर्व में प्रेषित)।

2–शासनादेश संख्या 797/X-2-2024-12(07)2021(7479) दिनांक 15 मई, 2024 अलाटमैन्ट आई.डी-S24050270005 दिनांक 15.05.2024 आवंटित बजट ₹3,24,58,000/–(छायाप्रति पूर्व में प्रेषित)।

3–शासनादेश संख्या 958/X-2-2024-12(07)2021(7479) दिनांक 27 जून, 2024 अलाटमैन्ट आई.डी-S24060270006 दिनांक 27.06.2024 आवंटित बजट ₹30,09,00,000/–(छायाप्रति पूर्व में प्रेषित)।

4–शासनादेश संख्या 1235/X-2-2024-12(07)2021(7479) दिनांक 10 जुलाई, 2024 अलाटमैन्ट आई.डी- S24070270006 दिनांक 10.07.2024 आवंटित बजट ₹16,48,00,000/– (छायाप्रति पूर्व में प्रेषित)।

5–शासनादेश संख्या 1767/X-2-2024-12(07)2021 (E-72660) दिनांक 26 सितम्बर, 2024 अलाटमैन्ट आई.डी-S24090270010 दिनांक 26.09.2024 आवंटित बजट ₹15,18,23,000–(छायाप्रति पूर्व में प्रेषित)।

6–शासनादेश संख्या 1573/X-2-2024-12(07)2021 (E-74356) दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 अलाटमैन्ट आई.डी-S24100270006 दिनांक 11.10.2024 आवंटित बजट ₹1,33,00,19,00–(छायाप्रति पूर्व में प्रेषित)।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेशों द्वारा अनुदान संख्या–27, लेखाशीर्षक ''2406–04–103–03–04– वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य'' हेतु प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड के निवर्तन पर रखी गई कुल धनराशि ₹ 2,00,00,00,000/–(₹ दो अरब मात्र) के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त/जारी की गयी धनराशि ₹1,92,69,96,550/–(₹ एक अरब बानबे करोड़ उनहत्तर लाख छियानबे हजार पॉच सौ पचास मात्र) के अतिरिक्त विभागाध्यक्ष द्वारा वर्तमान में अवमुक्त/जारी किये जाने हेतु अनुमोदित की गयी धनराशि ₹ 2,28,25,000/– (₹ दो करोड़ अठ्ठाईस लाख पच्चीस हजार मात्र) को **IFMS** पोर्टल के माध्यम से ऑन लाईन विभाग के सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबंधों के अधीन अवमुक्त/जारी किया जाता हैः–

1. आवंटित की गई धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व उपरिवर्णित शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो/प्रावधानों का अनिवार्यतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
2. वित्तीय वर्ष 2024–25 में वर्तमान में अवमुक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार के पत्र संख्या– **NA-15/1/2020-NA** दिनांक 19.04.2024, पत्र संख्या– **NA-15/1/2020-NA** दिनांक 24.05.2024 एवं पत्र संख्या– **NA-15/1/2020-NA** दिनांक 01.07.2024 द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष एवं उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा।
3. आवंटित धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाए और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट आवंटन की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाए।

4. आवंटित धनराशि व्यय / आहरित किये जाने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त कर ली जाय।
5. अवमुक्त की गयी धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन), वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–7 (वन लेखा नियम), बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 (समय–समय पर यथासंशोधित), वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024, दिनांक 22.03.2024 तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेशों आदि का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
6. आवंटित की गयी धनराशि के सापेक्ष प्रमुख वन संरक्षक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून द्वारा निर्धारित भौतिक / वित्तीय लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
7. मासिक व्यय विवरण / बाउचर्स का रिकन्सिलेशन आई0एफ0एम0एस0 पोर्टल से प्रत्येक माह की विलम्बत 05 तारीख तक कर बी0एम0 4 / मासिक व्यय विवरण राज्य मुख्यालय (नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन) को उपलब्ध कराया जाए।

संलग्नक-- यथोक्त

भवदीय,

Signed by
Hemendera Prakash Gangwar
Date: 22-01-2025 21:43:03
(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक

संख्याः नि0 1062 / 3–5 (वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. अपर सचिव, वन अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव / मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. प्रमुख वन संरक्षक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड,कैम्पा, देहरादून।
6. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल एवं कुमाऊँ तथा समस्त सम्बन्धित वन संरक्षको / निदेशकों को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित प्रभागों को आवंटित बजट के वार्षिक कार्ययोजना / नियमानुरूप व्यय के संबंध में अपने स्तर पर अनुश्रवण किए जाने का कष्ट करें।
8. समस्त सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड को ऑन लाईन आवंटित बजट की प्रति इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त को कोषागार डाटाबेस / मॉड्यूल में फीड किए जाने का कष्ट करें।
9. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन इकाई, आई.टी.एवं आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निर्गत बजट को विभागीय वेबसाइट में अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक

Print Date:-22/Jan/2025 07:42 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2024-2025)

Validity unknown
Digitally Signed:
Name: Mr Nendendra Prakash Gangwar
Date: 22-Jan-2025 19:44:10
Reason: HOD e-Approval
Location: Cyber

Head of Department : Principal Chief Conservator of Forest
Treasury-Bageshwar(8900)

DDO-DFO Bageshwar Forest DivisionBageswar(4256)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-1062/3-5

आवंटन आई डी - H25010270060

अनुदान संख्या - 027

आवंटन पत्र दिनांक - 20-JAN-2025

लेखा शीर्षक -

2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	04	वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास
103	राज य प्रतिपूरक वनीकरण जमा	03	राज्य प्राधिकरण
04	वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य्		

2	4	0	6	0	4	1	0	3	0	3	0	4

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	42-अन्य विभागीय व्यय	35566600	1608000	22654719	37174600
	योग	35566600	1608000	22654719	37174600

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 16,08,000 (Rupees Sixteen Lacs Eight Thousand Only)

Batch ID : DIS:4260:4260:2501:0084

Approval Status : e-Sign letter

Print Date:-22/Jan/2025 07:46 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2024-2025)

Validity unknown

Digitally Signed:
Name: Mr Hemendera Prakash Gangwar
Date: 22-Jan-2025 19:47:13
Reason: HOD e-Approval
Location: Cyber

Head of Department : Principal Chief Conservator of Forest

Treasury-Ranikhet(3701)

DDO-DFO Soil Conservation Forest (4256)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-1062/3-5

आवंटन आई डी - H25010270061

अनुदान संख्या - 027

आवंटन पत्र दिनांक - 20-JAN-2025

लेखा शीर्षक -

2406 वानिकी तथा वन्य प्राणी

103 राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा

04 वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य्

04 वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास

03 राज्य प्राधिकरण

2	4	0	6	0	4	1	0	3	0	3	0	4

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	42-अन्य विभागीय व्यय	27021000	2552000	13003161	29573000
	योग	27021000	2552000	13003161	29573000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 25,52,000 (Rupees Twenty Five Lacs Fifty Two Thousand Only)

Batch ID : DIS:4260:4260:2501:0085

Approval Status : e-Sign letter

Print Date:-22/Jan/2025 07:50 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2024-2025)

Validity unknown

Digitally Signed:
Name: Mr Hemendera Prakash Gangwar
Date: 22-Jan-2025 19:52:07
Reason: HOD e-Approval
Location: Cyber

Head of Department : Principal Chief Conservator of Forest (4200)
Treasury-Uttarkashi(4100)
DDO-DFO Soil Conservation Forest (4255)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-1062/3-5

आवंटन आई डी - H25010270062

अनुदान संख्या - 027

आवंटन पत्र दिनांक - 20-JAN-2025

लेखा शीर्षक -

2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	04	वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास
103	राज य प्रतिपूरक वनीकरण जमा	03	राज्य प्राधिकरण
04	वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य्		

2	4	0	6	0	4	1	0	3	0	3	0	4

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	42-अन्य विभागीय व्यय	39942000	2505000	32740038	42447000
	योग	39942000	2505000	32740038	42447000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 25,05,000 (Rupees Twenty Five Lacs Five Thousand Only)

Batch ID : DIS:4260:4260:2501:0086

Approval Status : e-Sign letter

Print Date:-22/Jan/2025 07:53 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2024-2025)

Validity unknown

Digitally Signed:
Name: Mr Hemendera Prakash Gangwar
Date: 22-Jan-2025 19:55:11
Reason: HOD e-Approval
Location: Cyber

Head of Department : Principal Chief Conservator of Forest
Treasury-New Tehri(6100)
DDO-DFO Tehri Dam Ist DivisionTehri(4258)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-1062/3-5 | आवंटन आई डी - H25010270063

अनुदान संख्या - 027 | आवंटन पत्र दिनांक - 20-JAN-2025

लेखा शीर्षक -

2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	04	वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास
103	राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा	03	राज्य प्राधिकरण
04	वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य्		

2	4	0	6	0	4	1	0	3	0	3	0	4

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	42-अन्य विभागीय व्यय	50614000	1339000	36199335	51953000
	योग	50614000	1339000	36199335	51953000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 13,39,000 (Rupees Thirteen Lacs Thirty Nine Thousand Only)

Batch ID : DIS:4260:4260:2501:0087

Approval Status : e-Sign letter

Print Date:-22/Jan/2025 07:56 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2024-2025)

Validity unknown
Digitally Signed.
Name: Mr Hemendera Prakash Gangwar
Date: 22-Jan-2025 19:58:17
Reason: HOD e-Approval
Location: Cyber

Head of Department : Principal Chief Conservator of Forest
Treasury-Uttarkashi(4100)

DDO-DFO Tehri Dam IInd DivisionUttarkashi(4258)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-1062/3-5 आवंटन आई डी - H25010270064

अनुदान संख्या - 027 आवंटन पत्र दिनांक - 20-JAN-2025

लेखा शीर्षक -

2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	**04**	वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास
103	राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा	**03**	राज्य प्राधिकरण
04	वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य्		

2	4	0	6	0	4	1	0	3	0	3	0	4

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	42-अन्य विभागीय व्यय	29549000	1846000	20642673	31395000
	योग	29549000	1846000	20642673	31395000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 18,46,000 (Rupees Eighteen Lacs Forty Six Thousand Only)

Batch ID : DIS:4260:4260:2501:0088

Approval Status : e-Sign letter

Print Date:-22/Jan/2025 07:58 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2024-2025)

Validity unknown

Digitally Signed:
Name: Mr Hemendara Prakash Gangwar
Date: 22-Jan-2025 20:00:36
Reason: HOD e-Approval
Location: Cyber

Head of Department : Principal Chief Conservator of Forest
Treasury-Garhwal(4200)

DDO-DFO Civil Soim Forest Division Pauri(4258)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-1062/3-5

आवंटन आई डी - H25010270065

अनुदान संख्या - 027

आवंटन पत्र दिनांक - 20-JAN-2025

लेखा शीर्षक -

2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी
103	राज य प्रतिपूरक वनीकरण जमा
04	वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य्
04	वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास
03	राज्य प्राधिकरण

2	4	0	6	0	4	1	0	3	0	3	0	4

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	42-अन्य विभागीय व्यय	40236000	784000	18459365	41020000
	योग	40236000	784000	18459365	41020000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 7,84,000 (Rupees Seven Lacs Eighty Four Thousand Only)

Batch ID : DIS:4260:4260:2501:0089

Approval Status : e-Sign letter

Print Date:-22/Jan/2025 08:03 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2024-2025)

Validity unknown
Digitally Signed:
Name: Mr Hemendera Prakash Gangwar
Date: 22-Jan-2025 20:05:15
Reason: HOD e-Approval
Location: Cyber

Head of Department : Principal Chief Conservator of Forest (4)

Treasury-Gopeshwar(4000)

DDO-DFO Badrinath Forest DivisionGopeswar(4257)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-1062/3-5

आवंटन आई डी - H25010270066

अनुदान संख्या - 027

आवंटन पत्र दिनांक - 20-JAN-2025

लेखा शीर्षक -

2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	04	वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास
103	राज य प्रतिपूरक वनीकरण जमा	03	राज्य प्राधिकरण
04	वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य्		

2	4	0	6	0	4	1	0	3	0	3	0	4

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	42-अन्य विभागीय व्यय	34090200	1568000	21400817	35658200
	योग	34090200	1568000	21400817	35658200

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 15,68,000 (Rupees Fifteen Lacs Sixty Eight Thousand Only)

Batch ID : DIS:4260:4260:2501:0090

Approval Status : e-Sign letter

Print Date:-22/Jan/2025 08:06 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2024-2025)

Validity unknown

Digitally Signed
Name: Mr Hemendera Prakash Gangwar
Date: 22-Jan-2025 20:07:37
Reason: HOD e-Approval
Location: Cyber

Head of Department : Principal Chief Conservator of Forest
Treasury-Gopeshwar(4000)

DDO-DFO Soil Conservation Division AlaknandaGopeswar(4258)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-1062/3-5

आवंटन आई डी - H25010270067

अनुदान संख्या - 027

आवंटन पत्र दिनांक - 20-JAN-2025

लेखा शीर्षक -

2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी		**04**	वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास
103	राज य प्रतिपूरक वनीकरण जमा		**03**	राज्य प्राधिकरण
04	वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य्			

2	4	0	6	0	4	1	0	3	0	3	0	4

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	42-अन्य विभागीय व्यय	28488000	3842000	22650167	32330000
	योग	28488000	3842000	22650167	32330000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 38,42,000 (Rupees Thirty Eight Lacs Forty Two Thousand Only)

Batch ID : DIS:4260:4260:2501:0091

Approval Status : e-Sign letter

Print Date:-22/Jan/2025 08:09 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2024-2025)

Validity unknown
Digitally Signed
Name: Mr Narendra Prakash Gangwar
Date: 22-Jan-2025 20:10:34
Reason: HOD e-Approval
Location: Cyber

Head of Department : Principal Chief Conservator of Forest (4)
Treasury-Lansdowne(5700)

DDO-DFO Soil Conservation Division LansdowneLansdowne(4255)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-1062/3-5

आवंटन आई डी - H25010270068

अनुदान संख्या - 027

आवंटन पत्र दिनांक - 20-JAN-2025

लेखा शीर्षक -

2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	04	वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास
103	राज य प्रतिपूरक वनीकरण जमा	03	राज्य प्राधिकरण
04	वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य्		

2	4	0	6	0	4	1	0	3	0	3	0	4

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	42-अन्य विभागीय व्यय	22946000	253000	14765023	23199000
	योग	22946000	253000	14765023	23199000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 2,53,000 (Rupees Two Lacs Fifty Three Thousand Only)

Batch ID : DIS:4260:4260:2501:0092

Approval Status : e-Sign letter

Print Date:-22/Jan/2025 08:12 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2024-2025)

Validity unknown
Digitally Signed.
Name: Mr Hemendra Prakash Gangwar
Date: 22-Jan-2025 20:13:12
Reason: HOD e-Approval
Location: Cyber

Head of Department : Principal Chief Conservator of Forest
Treasury-Dehradun(0100)
DDO-DFO Dehradun Forest DivisionDehradun(4257)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-1062/3-5 | आवंटन आई डी - H25010270069

अनुदान संख्या - 027 | आवंटन पत्र दिनांक - 20-JAN-2025

लेखा शीर्षक -

2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	04	वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास
103	राज य प्रतिपूरक वनीकरण जमा	03	राज्य प्राधिकरण
04	वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य्		

2	4	0	6	0	4	1	0	3	0	3	0	4

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	42-अन्य विभागीय व्यय	82172200	3000000	43554428	85172200
	योग	82172200	3000000	43554428	85172200

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 30,00,000 (Rupees Thirty Lacs Only)

Batch ID : DIS:4260:4260:2501:0093

Approval Status : e-Sign letter

Print Date:-22/Jan/2025 08:15 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2024-2025)

Validity unknown
Digitally Signed
Name: Mr Neerendra Prakash Gangwar
Date: 22-Jan-2025 20:16:36
Reason: HOD e-Approval
Location: Cyber

Head of Department : Principal Chief Conservator of Forest
Treasury-Joshimath(4002)
DDO-DFO Nanda Devi National ParkJoshimath(4260)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-1062/3-5

आवंटन आई डी - H25010270070

अनुदान संख्या - 027

आवंटन पत्र दिनांक - 20-JAN-2025

लेखा शीर्षक -

2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	04	वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास
103	राज य प्रतिपूरक वनीकरण जमा	03	राज्य प्राधिकरण
04	वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य्		

2	4	0	6	0	4	1	0	3	0	3	0	4

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	42-अन्य विभागीय व्यय	36907000	1019000	19089005	37926000
	योग	36907000	1019000	19089005	37926000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 10,19,000 (Rupees Ten Lacs Nineteen Thousand Only)

Batch ID : DIS:4260:4260:2501:0094

Approval Status : e-Sign letter

Print Date:-22/Jan/2025 08:16 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2024-2025)

Validity unknown
Digitally Signed
Name: Mr Hemendra Prakash Gangwar
Date: 22-Jan-2025 20:18:19
Reason: HOD e-Approval
Location: Cyber

Head of Department : Principal Chief Conservator of Forest (42)

Treasury-Gopeshwar(4000)

DDO-DFO Kedarnath Wildlife DivisionGopeswar(4256)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-1062/3-5

आवंटन आई डी - H25010270071

अनुदान संख्या - 027

आवंटन पत्र दिनांक - 20-JAN-2025

लेखा शीर्षक -

2406 वानिकी तथा वन्य प्राणी

103 राज य प्रतिपूरक वनीकरण जमा

04 वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य्

04 वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास

03 राज्य प्राधिकरण

2	4	0	6	0	4	1	0	3	0	3	0	4

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	42-अन्य विभागीय व्यय	73785200	2509000	33513365	76294200
	योग	73785200	2509000	33513365	76294200

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 25,09,000 (Rupees Twenty Five Lacs Nine Thousand Only)

Batch ID : DIS:4260:4260:2501:0095

Approval Status : e-Sign letter

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण
(उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)
वन भवन, 85 राजपुर रोड़, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135–2744077
Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांकः– 816 /3-2 बजट (NPV)/24-25 दिनांक 25 जनवरी, 2025

सेवा में,

1. प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी डैम–प्रथम।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, भू0सं0 वन प्रभाग उत्तरकाशी।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2024–25 में वन विभाग के अनुदान संख्या–27 की राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा योजना के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2406–04–103–03–04 वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य" (NPV) मद में आवंटित किये गये बजट के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

संदर्भः– वित्त नियंत्रक वन विभाग, उत्तराखण्ड का पत्रांक नि0–1066/3–5 दिनांक 22 जनवरी, 2025।

महोदय,

विषयक प्रकरण में उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र से वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–27 की राज्य प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2406–04–103–03–04 वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य" (NPV) के मानक मद–42 अन्य विभागीय व्यय के अंतर्गत रू 137.60 लाख की धनराशि प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी डैम–प्रथम एवं प्रभागीय वनाधिकारी भू0सं0 वन प्रभाग उत्तराकाशी को पत्र में उल्लिखित शर्तों एंव प्रतिबन्धों के साथ आवंटित की गई है। *बजट आवंटन से सम्बन्धित पत्र की प्रति कैम्पा वेबसाईड* www.ukcampa.org.in *पर fund released section में भी अपलोड है।*

अतः प्रश्नगत योजनान्तर्गत उक्त आवंटित धनराशि का उपयोग वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य (NPV) के **Streamshed Mangement under Soil and Water Conservation Works (DTRs)** **गतिविधि हेतु भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य संलग्नक–1** के अनुसार कैम्पा के मानकों के अनुरूप पूर्ण करते हुए ससमय MIS प्रविष्टि करने के साथ ही निम्न दिशा निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें:–

1. राष्ट्रीय कैम्पा, भारत सरकार के पत्रांक–NA-15/2020-NA दिनांक 19.04.2024, पत्रांक–NA-15/2020-NA दिनांक 24.05.2024 पत्रांक–NA-15/2020-NA दिनांक 01.07.2024, (*कैम्पा वेबसाईड में अपलोड*) व शासकीय पत्रांक–1573/X-2-2024-12(07)2021(74356) दिनांक 11.10.2024 **(छायाप्रति संलग्न)** में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः पालन किया जाए।
2. **अन्य नियम व शर्तेः–**
   I. कार्यो का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
   II. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित *'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम–2016'* के अंतर्गत निर्गत *प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली– 2018'* में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।

> उक्त के अतिरिक्त नियम 5(3) के अन्तिम प्रस्तर में निर्दिष्ट निम्न नियम का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए–
>
> *'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली– 2018' के नियम 5 के उपनियम (2) और (3) मे निर्दिष्ट कार्यकलाप राज्य सरकार के वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में वन भूमि पर किये जाने हैं, तो उक्त कार्यकलापों को कार्यपालक स्कीम के अनुसार किये जायेंगे;*
>
> *और परन्तु यह कि राज्य सरकार के राज्य वन विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यपालक स्कीम के अनुसार वन भूमि पर उक्त कार्यकलाप ग्राम सभा या ग्राम वन प्रबन्धन समिति यथा स्थिति,के परामर्श से किये जायेंगे और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारम्परिक वन निवासी (वन अधिकरों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के उपबन्धो और इसके अन्तर्गत जारी दिशानिर्देशो, जहां कहीं लागू हो, के अनुरूप होंगे।*
>
> *परन्तु यह भी कि यदि किसी मामले में उक्त कार्यकलाप उन क्षेत्रो में किये जाते हैं, जो अनुमोदित कार्य स्कीम द्वारा शामिल नहीं किये जाते हैं तब उप नियम (2) और (3) में अल्लिखित कार्यकलाप संबंधित ग्राम सभा या ग्राम वन प्रबन्धन समिति अथवा उस क्षेत्र पर अधिकार रखने वाले किसी प्राधिकरण के परामर्श से किया जायेगा और वे अनुसूचित जातियों और अन्य पारम्परिक वन निवासी (वन अधिकरों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के उपबन्धों और इसके अधीन जारी किये गये दिशानिर्देशों के अधीन जहां भी लागू हो, के अनुरूप होंगे।*

III. सभी स्थलीय कार्यो (Field Activities) की ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर प्रविष्टि के उपरांत ही सम्बन्धित व्यय के वाउचर लेखाबद्ध किये जायें।

IV. समस्त कार्यो की भौतिक एवं वित्तीय प्राप्ति की वाउचर आधारित पूर्ण व सुसष्ट प्रविष्टि कैम्पा की MIS पर अनिवार्य रूप से की जाये, जिसमें अक्षांश व देशांतर (latitude & longitude), प्रासंगिक डाटा, सूचना, मानचित्र, KML फाइल व संपादित कार्यों के फोटोग्राफ्स (कार्य से पूर्व व कार्य पूर्ण होने के उपरांत) आदि सम्मिलित हों। इस प्रकार वाउचर आधारित प्रविष्टि MIS व मासिक लेखा (Classified) में समान होनी चाहिए।

V. कार्य को करायें जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत/ना हो/कराया न गया हो।

VI. उक्त धनराशि का व्यय, भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्रों में उल्लिखित सभी दिशा–निर्देशों/शर्तो के अनुसार किया जायेगा। साथ ही निर्माण कार्यों हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदित दर अनुसूची आधार के पर अनुमन्य मानकों अनुसार गठित आगणन व उस पर सक्षम स्तर से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्राविधिक, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासकीय पूर्व अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।

VII. कार्यों के संपादन हेतु समय–समय पर जारी समस्त संगत शासनादेशों/वित्तीय नियमों/प्रॉक्योरमेंट नियमावली का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

VIII. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक लेखा (E-7) व मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से निर्धारित प्रारूप पर उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।

IX. संपादित किये जाने वाले कार्यों में श्रम विभाग द्वारा समय–समय पर न्यूनतम मजदूरी दरों के सम्बन्ध में जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

X. अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में किया जाय।

XI. बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य संपादित न करायें जायें, अन्यथा की स्थिति में संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।

XII. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।

XIII. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए, जिसमें कार्य कराये जाने से पूर्व व कार्य कराये जाने के उपरांत लिया गया फोटोग्राफ, अल्पावधि के वीडियो क्लिप, जहां संभव हो वहां का ड्रोन शॉट व कार्य के सामाजिक–आर्थिक (Socio-Economic) प्रभाव सम्मिलित हों।

XIV. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर अनिवार्य रूप से सुस्पष्ट साईनेज स्थापित किया जाये, जिसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित", कार्य का नाम, वर्ष, स्थल का नाम, लागत, कार्य प्रभारी का नाम व अन्य सुसंगत विवरण अंकित हों।

XV. स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जाय और अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित न किया जाय।

XVI. पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन संरक्षण प्रभाग), नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 10 अगस्त, 2018 के नियम (5) के बिन्दु संख्या (4) के उपनियम (1) में निर्दिष्ट रकम का उपयोग उपनियम में उल्लिखित कार्यकलापों के लिए नहीं किया जाए।

XVII. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में सक्षम स्तर से अन्तिम स्वीकृति प्राप्त होने से पूर्व किसी भी दशा में क्षतिपूरक वनीरकण, IWLMP एवं मृदा जल सरंक्षण आदि कार्य न किया जाए।

XVIII. उक्त धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि ऐसे व्यय से शहरी निकायों/नगर निकायों के लिए वर्तमान में प्रभावी आदर्श आचार सहिता का उल्लघंन न हो।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 समीर सिन्हा)
प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांकः– /3-2 बजट (NPV)/ 24-25 दिनांकित

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
2. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड।

प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

संलग्नक–1

वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–27 की राज्य प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2406–04–103–03–04 वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य" (NPV) के मानक मद–42 अन्य विभागीय व्यय अंतर्गत वित्त नियंत्रक वन विभाग, उत्तराखण्ड के पत्रांक नि0–1066 / 3–5 दिनांक 22 जनवरी, 2025 से आवंटित रू 137.60 लाख के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

Streamshed Management under soil and water Conservation works under DTRS गतिविधि जोन स्तर से संस्तुति सहित प्राप्त एस0एम0सी0 डी.टी.आर. के प्रथम वर्ष 2024–25 में सम्पादित किये जाने वाले कार्यों हेतु प्रभागवार आवंटन		
प्रभाग का नाम	डी0टी0आर0 / गदेरे का नाम	आवंटित धनराशि (रू लाख में)
1	2	3
टिहरी डैम वन प्रभाग–प्रथम	माणदा नाला	24.77
	बहेड़ी नाला	29.83
	विशन लामरा गदेरा	24.61
	योग–	79.21
भूमि संरक्षण वन प्रभाग उत्तरकाशी	थलन	14.36
	नैताला (जौकाणी)	13.56
	माण्डों	15.26
	साड़ग	15.21
	योग–	**58.39**
	कुल योग– गढवाल जोन	**137.60**

Chief Executive Officer
Uttarakhand CAMPA

संख्या नि0—1066 / 3—5 (वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य)

प्रेषक

हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार
वित्त नियंत्रक,
वन विभाग, उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी /
प्रभागीय वनाधिकारी, वन विभाग, उत्तराखण्ड।

देहरादूनः दिनांकः 22 जनवरी, 2025

विषय :— वित्तीय वर्ष 2024—25 में वन विभाग के अनुदान सं0—27 की राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा परियोजना के अन्तर्गत लेखाशीर्षक''2406—04—103—03—04 —वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य'' हेतु शासन से अवमुक्त बजट का आवंटन।

संदर्भ :— 1—शासनादेश संख्या 771/X-2-2024-12(07)2021(7479) दिनांक 09 मई, 2024 अलाटमैन्ट आई.डी-S24050270004 दिनांक 09.05.2024 आवंटित बजट ₹2,00,00,000/—(छायाप्रति पूर्व में प्रेषित)।

2—शासनादेश संख्या 797/X-2-2024-12(07)2021(7479) दिनांक 15 मई, 2024 अलाटमैन्ट आई.डी-S24050270005 दिनांक 15.05.2024 आवंटित बजट ₹3,24,58,000/—(छायाप्रति पूर्व में प्रेषित)।

3—शासनादेश संख्या 958/X-2-2024-12(07)2021(7479) दिनांक 27 जून, 2024 अलाटमैन्ट आई.डी-S24060270006 दिनांक 27.06.2024 आवंटित बजट ₹30,09,00,000/—(छायाप्रति पूर्व में प्रेषित)।

4—शासनादेश संख्या 1235/X-2-2024-12(07)2021(7479) दिनांक 10 जुलाई, 2024 अलाटमैन्ट आई.डी- S24070270006 दिनांक 10.07.2024 आवंटित बजट ₹16,48,00,000/— (छायाप्रति पूर्व में प्रेषित)।

5—शासनादेश संख्या 1767/X-2-2024-12(07)2021 (E-72660) दिनांक 26 सितम्बर, 2024 अलाटमैन्ट आई.डी-S24090270010 दिनांक 26.09.2024 आवंटित बजट ₹15,18,23,000—(छायाप्रति पूर्व में प्रेषित)।

6—शासनादेश संख्या 1573/X-2-2024-12(07)2021 (E-74356) दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 अलाटमैन्ट आई.डी-S24100270006 दिनांक 11.10.2024 आवंटित बजट ₹1,33,00,19,00—(छायाप्रति पूर्व में प्रेषित)।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेशों द्वारा अनुदान संख्या—27, लेखाशीर्षक ''2406—04—103—03—04— वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य'' हेतु प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड के निवर्तन पर रखी गई कुल धनराशि ₹ 2,00,00,00,000/—(₹ दो अरब मात्र) के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त/जारी की गयी धनराशि ₹1,94,98,21,550/—(₹ एक अरब चौरानबे करोड़ अठानबे लाख इक्कीस हजार पॉच सौ पचास मात्र) के अतिरिक्त विभागाध्यक्ष द्वारा वर्तमान में अवमुक्त/जारी किये जाने हेतु अनुमोदित की गयी धनराशि ₹ 1,37,60,000/— (₹ एक करोड़ सैंतीस लाख साठ हजार मात्र) को **IFMS** पोर्टल के माध्यम से ऑन लाईन विभाग के सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन अवमुक्त/जारी किया जाता है:—

1. आवंटित की गई धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व उपरिवर्णित शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों/प्रावधानों का अनिवार्यतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
2. वित्तीय वर्ष 2024—25 में वर्तमान में अवमुक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार के पत्र संख्या— **NA-15/1/2020-NA** दिनांक 19.04.2024, पत्र संख्या— **NA-15/1/2020-NA** दिनांक 24.05.2024 एवं पत्र संख्या— **NA-15/1/2020-NA** दिनांक 01.07.2024 द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष एवं उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा।
3. आवंटित धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाए और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट आवंटन की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाए।

4. आवंटित धनराशि व्यय / आहरित किये जाने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त कर ली जाय।
5. अवमुक्त की गयी धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन), वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–7 (वन लेखा नियम), बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 (समय–समय पर यथासंशोधित), वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024, दिनांक 22.03.2024 तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेशों आदि का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
6. आवंटित की गयी धनराशि के सापेक्ष प्रमुख वन संरक्षक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून द्वारा निर्धारित भौतिक / वित्तीय लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
7. मासिक व्यय विवरण / बाउचर्स का रिकन्सिलेशन आई0एफ0एम0एस0 पोर्टल से प्रत्येक माह की विलम्बत 05 तारीख तक कर बी0एम0 4 / मासिक व्यय विवरण राज्य मुख्यालय (नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन) को उपलब्ध कराया जाए।

संलग्नक– यथोक्त

भवदीय,

Signed by
Hemendera Prakash Gangwar
Date: 22-01-2025 21:35:57
(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक

संख्याः नि0 1066 / 3–5 (वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. अपर सचिव, वन अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. प्रमुख वन संरक्षक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड,कैम्पा, देहरादून।
5. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल तथा वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित प्रभागों को आवंटित बजट के वार्षिक कार्ययोजना / नियमानुरूप व्यय के संबंध में अपने स्तर पर अनुश्रवण किए जाने का कष्ट करें।
7. मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी, उत्तरकाशी को ऑन लाईन आवंटित बजट की प्रति इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त को कोषागार डाटाबेस / मॉड्यूल में फीड किए जाने का कष्ट करें।
8. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन इकाई, आई.टी.एवं आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निर्गत बजट को विभागीय वेबसाइट में अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक

Print Date:-22/Jan/2025 08:37 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2024-2025)

Validity unknown

Digitally Signed.
Name: Mr Hemendera Prakash Gangwar
Date: 22-Jan-2025 20:39:00
Reason: HOD e-Approval
Location: Cyber

Head of Department : Principal Chief Conservator of Forest

Treasury-New Tehri(6100)

DDO-DFO Tehri Dam Ist DivisionTehri(4258)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-1066/3-5

आवंटन आई डी - H25010270079

अनुदान संख्या - 027

आवंटन पत्र दिनांक - 20-JAN-2025

लेखा शीर्षक -

2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	04	वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास
103	राज य प्रतिपूरक वनीकरण जमा	03	राज्य प्राधिकरण
04	वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य्		

2	4	0	6	0	4	1	0	3	0	3	0	4

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	42-अन्य विभागीय व्यय	51953000	7921000	36199335	59874000
	योग	51953000	7921000	36199335	59874000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 79,21,000 (Rupees Seventy Nine Lacs Twenty One Thousand Only)

Batch ID : DIS:4260:4260:2501:0103

Approval Status : e-Sign letter

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2024-2025)

Validity unknown
Digitally Signed.
Name: Mr Hemendera Prakash Gangwar
Date: 22-Jan-2025 20:42:37
Reason: HOD e-Approval
Location: Cyber

Head of Department : Principal Chief Conservator of Forest (HoFF)
Treasury-Uttarkashi(4100)
DDO-DFO Soil Conservation Forest (4255)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-1066/3-5 आवंटन आई डी - H25010270080

अनुदान संख्या - 027 आवंटन पत्र दिनांक - 20-JAN-2025

लेखा शीर्षक -

2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	04	वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास
103	राज य प्रतिपूरक वनीकरण जमा	03	राज्य प्राधिकरण
04	वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य्		

2	4	0	6	0	4	1	0	3	0	3	0	4

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	42-अन्य विभागीय व्यय	42447000	5839000	32740038	48286000
	योग	42447000	5839000	32740038	48286000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 58,39,000 (Rupees Fifty Eight Lacs Thirty Nine Thousand Only)

Batch ID : DIS:4260:4260:2501:0104

Approval Status : e-Sign letter

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण
(उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड़, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135–2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांकः– 817 /3-2 बजट (CA)/24-25 दिनांक 25 जनवरी, 2025

सेवा में,

1. प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ, वन प्रभाग।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2024–25 में वन विभाग के अनुदान संख्या–27 की राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा योजना के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2406–04–103–03–01 क्षतिपूरक वनीकरण" (CA) मद में आवंटित किये गये बजट के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

संदर्भः– वित्त नियंत्रक वन विभाग, उत्तराखण्ड का पत्रांक नि0–1072/3–5 दिनांक 22 जनवरी, 2025।

महोदय,

विषयक प्रकरण में उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सदंर्भित पत्र से वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–27 की राज्य प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2406–04–103–03–01 क्षतिपूरक वनीकरण" (CA) के मानक मद–42 अन्य विभागीय व्यय के अंतर्गत रू 88.50 लाख की धनराशि प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत वन प्रभाग, एवं प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग को पत्र में उल्लिखित शर्तों एंव प्रतिबन्धों के साथ आवंटित की गई है। *बजट आवंटन से सम्बन्धित पत्र की प्रति कैम्पा वेबसाईड* www.ukcampa.org.in *पर fund released section में भी अपलोड है।*

अतः प्रश्नगत योजनान्तर्गत उक्त आवंटित धनराशि का उपयोग क्षतिपूरक वनीकरण मद में **अग्रिम मृदा कार्य हेतु भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य संलग्नक–1 के** अनुसार कैम्पा के मानकों के अनुरूप पूर्ण करते हुए ससमय MIS प्रविष्टि करने के साथ ही निम्न दिशा निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें:–

1. राष्ट्रीय कैम्पा, भारत सरकार के पत्रांक–NA-15/2020-NA दिनांक 19.04.2024, पत्रांक–NA-15/2020-NA दिनांक 24.05.2024 पत्रांक–NA-15/2020-NA दिनांक 01.07.2024, *(कैम्पा वेबसाईड में अपलोड)* व शासकीय पत्रांक–1573/X-2-2024-12(07)2021(74356) दिनांक 11.10.2024 **(छायाप्रति संलग्न)** में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः पालन किया जाए।
2. **अन्य नियम व शर्तें:–**
   I. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
   II. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित *'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम–2016'* के अंतर्गत निर्गत *प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली– 2018'* में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।

उक्त के अतिरिक्त नियम 5(3) के अन्तिम प्रस्तर में निर्दिष्ट निम्न नियम का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए–

'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली– 2018' के नियम 5 के उपनियम (2) और (3) मे निर्दिष्ट कार्यकलाप राज्य सरकार के वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में वन भूमि पर किये जाने हैं, तो उक्त कार्यकलापों को कार्यपालक स्कीम के अनुसार किये जायेंगे;

और परन्तु यह कि राज्य सरकार के राज्य वन विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यपालक स्कीम के अनुसार वन भूमि पर उक्त कार्यकलाप ग्राम सभा या ग्राम वन प्रबन्धन समिति यथा स्थिति,के परामर्श से किये जायेंगे और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारम्परिक वन निवासी (वन अधिकरों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के उपबन्धो और इसके अन्तर्गत जारी दिशानिर्देशो, जहां कहीं लागू हो, के अनुरूप होंगे।

परन्तु यह भी कि यदि किसी मामले में उक्त कार्यकलाप उन क्षेत्रो में किये जाते हैं, जो अनुमोदित कार्य स्कीम द्वारा शामिल नहीं किये जाते हैं तब उप नियम (2) और (3) में अल्लिखित कार्यकलाप संबंधित ग्राम सभा या ग्राम वन प्रबन्धन समिति अथवा उस क्षेत्र पर अधिकार रखने वाले किसी प्राधिकरण के परामर्श से किया जायेगा और वे अनुसूचित जातियों और अन्य पारम्परिक वन निवासी (वन अधिकरों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के उपबन्धों और इसके अधीन जारी किये गये दिशानिर्देशों के अधीन जहां भी लागू हो, के अनुरूप होंगे।

III. सभी स्थलीय कार्यों (Field Activities) की ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर प्रविष्टि के उपरांत ही सम्बन्धित व्यय के वाउचर लेखाबद्ध किये जायें।

IV. समस्त कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्राप्ति की वाउचर आधारित पूर्ण व सुस्पष्ट प्रविष्टि कैम्पा की MIS पर अनिवार्य रूप से की जाये, जिसमें अक्षांश व देशांतर (latitude & longitude), प्रासंगिक डाटा, सूचना, मानचित्र, KML फाइल व संपादित कार्यों के फोटोग्राफ्स (कार्य से पूर्व व कार्य पूर्ण होने के उपरांत) आदि सम्मिलित हों। इस प्रकार वाउचर आधारित प्रविष्टि MIS व मासिक लेखा (Classified) में समान होनी चाहिए।

V. कार्य को करायें जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत/ना हो/कराया न गया हो।

VI. उक्त धनराशि का व्यय, भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्रों में उल्लिखित सभी दिशा–निर्देशों/शर्तो के अनुसार किया जायेगा। साथ ही निर्माण कार्यों हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदित दर अनुसूची आधार के पर अनुमन्य मानकों अनुसार गठित आगणन व उस पर सक्षम स्तर से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्राविधिक, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासकीय पूर्व अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।

VII. कार्यो के संपादन हेतु समय–समय पर जारी समस्त संगत शासनादेशों/वित्तीय नियमों/प्रॉक्योरमेंट नियमावली का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

VIII. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक लेखा (E-7) व मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से निर्धारित प्रारूप पर उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।

IX. संपादित किये जाने वाले कार्यों में श्रम विभाग द्वारा समय–समय पर न्यूनतम मजदूरी दरों के सम्बन्ध में जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

X. अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में किया जाय।

XI. बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य संपादित न करायें जायें, अन्यथा की स्थिति में संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।

XII. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।

XIII. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए, जिसमें कार्य कराये जाने से पूर्व व कार्य कराये जाने के उपरांत लिया गया फोटोग्राफ, अल्पावधि के वीडियो क्लिप, जहां संभव हो वहां का ड्रोन शॉट व कार्य के सामाजिक–आर्थिक (Socio-Economic) प्रभाव सम्मिलित हों।

XIV. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर अनिवार्य रूप से सुस्पष्ट साईनेज स्थापित किया जाये, जिसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित", कार्य का नाम, वर्ष, स्थल का नाम, लागत, कार्य प्रभारी का नाम व अन्य सुसंसगत विवरण अंकित हो।

XV. स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जाय और अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित न किया जाय।

XVI. पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन संरक्षण प्रभाग), नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 10 अगस्त, 2018 के नियम (5) के बिन्दु संख्या (4) के उपनियम (1) में निर्दिष्ट रकम का उपयोग उपनियम में उल्लिखित कार्यकलापों के लिए नहीं किया जाए।

XVII. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में सक्षम स्तर से अन्तिम स्वीकृति प्राप्त होने से पूर्व किसी भी दशा में क्षतिपूरक वनीरकण, IWLMP एवं मृदा जल सरंक्षण आदि कार्य न किया जाए।

XVIII. उक्त धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि ऐसे व्यय से शहरी निकायों/नगर निकायों के लिए वर्तमान में प्रभावी आदर्श आचार सहिता का उल्लघंन न हो।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ० समीर सिन्हा)
प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांकः– 817 /3-2 बजट (CA)/ 24-25 दिनांकित

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
2. मुख्य वन संरक्षक, कुमांऊ, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
3. वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ एवं गढवाल वृत्त उत्तराखण्ड।

प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

वित्त नियंत्रक, वन विभाग उत्तराखण्ड के पत्रांक नि0–1072/3–5 (कैम्पा–क्षतिपूरक वनीकरण) दिनांक 22–01–2025 से कैम्पा की क्षतिपूरक वनीकरण योजना अन्तर्गत मानक मद 42–अन्य विभागीय व्यय के अन्तर्गत विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों को क्षतिपूरक अग्रिम मृदा कार्य हेतु आवंटित रू0 88.50 लाख की धनराशि के सापेक्ष भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य		
प्रभाग/क्रियान्वयन अभिकरण का नाम	क्षतिपूरक वनीकरण योजना (क्षतिपूरक अग्रिम मृदा कार्य गतिविधि अन्तर्गत मानक मद 42–अन्य विभागीय व्यय)	
	भौतिक (है0 में)	आवंटित धनराशि (लाख में)
1	2	3
बद्रीनाथ वन प्रभाग	62.02	38.31
गढ़वाल वन प्रभाग	10.32	6.86
चम्पावत वन प्रभाग	51.02	43.33
कुल योग	123.36	88.50

Chief Executive Officer
Uttarakhand CAMPA

संख्या नि0—1072/3—5 (कैम्पा —क्षतिपूरक वनीकरण)

प्रेषक

हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार,
वित्त नियंत्रक,
वन विभाग, उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/
प्रभागीय वनाधिकारी, वन विभाग, उत्तराखण्ड।

देहरादूनः दिनांकः 22 जनवरी, 2025

विषय :— वित्तीय वर्ष 2024—25 में वन विभाग के अनुदान संख्या—27 की राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा योजना के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2406—04—103—03—01 —क्षतिपूरक वनीकरण" हेतु शासन से अवमुक्त बजट का आवंटन।

संदर्भ :— 1—शासनादेश संख्या 750/**X-2-2024-12(07)2021 (E-72660)** दिनांक 27 जून, 2024 अलाटमैन्ट आई.डी.-S24060270010 दिनांक 28.06.2024 आवंटित बजट ₹18,63,00,000—(छायाप्रति पूर्व में प्रेषित)।
2—शासनादेश संख्या 1767/**X-2-2024-12(07)2021 (E-72660)** दिनांक 26 सितम्बर, 2024 अलाटमैन्ट आई.डी.-S24090270007 दिनांक 26.09.2024 आवंटित बजट ₹3,40,08,000—(छायाप्रति पूर्व में प्रेषित)।
3—शासनादेश संख्या 1573/**X-2-2024-12(07)2021 (E-74356)** दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 अलाटमैन्ट आई.डी.-S24100270003 दिनांक 11.10.2024 आवंटित बजट ₹31,49,00,000—(छायाप्रति पूर्व में प्रेषित)।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेशों द्वारा अनुदान संख्या—27, लेखाशीर्षक "2406—04—103—03—01 — क्षतिपूरक वनीकरण" हेतु प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड के निवर्तन पर रखी गई कुल धनराशि ₹ 53,52,08,000/— (₹ तिरेपन करोड़ बावन लाख आठ हजार मात्र) के सापेक्ष विभाग के आहरण वितरण अधिकारियों को पूर्व में अवमुक्त/जारी की गयी धनराशि ₹50,77,30,000/— (₹ पचास करोड़ सतहत्तर लाख तीस हजार मात्र) के अतिरिक्त विभागाध्यक्ष द्वारा वर्तमान में जारी किये जाने हेतु अनुमोदित की गयी धनराशि ₹ 88,50,000/—(₹ अट्ठासी लाख पचास हजार मात्र) को **IFMS** पोर्टल के माध्यम से ऑन लाईन विभाग के सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबंधों के अधीन अवमुक्त/जारी किया जाता हैः—

1. आवंटित की गई धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व उपरिवर्णित शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो/प्रावधानों का अनिवार्यतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
2. वित्तीय वर्ष 2024—25 में वर्तमान में अवमुक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार के पत्र संख्या— **NA-15/1/2020-NA** दिनांक 19.04.2024, पत्र संख्या— **NA-15/1/2020-NA** दिनांक 24.05.2024 एवं पत्र संख्या— **NA-15/1/2020-NA** दिनांक 01.07.2024 द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष एवं उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा।
3. आवंटित धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाए और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट आवंटन की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाए।
4. आवंटित धनराशि व्यय/आहरित किये जाने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त कर ली जाय।
5. अवमुक्त की गयी धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड—1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन), वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड—5 भाग—1 (लेखा नियम), वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड—7 (वन लेखा नियम), बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 (समय—समय पर यथासंशोधित), वित्त विभाग के शासनादेश संख्या—201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024, दिनांक 22.03.2024 तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेशों आदि का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

6. आवंटित की गयी धनराशि के सापेक्ष प्रमुख वन संरक्षक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून द्वारा निर्धारित भौतिक / वित्तीय लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
7. मासिक व्यय विवरण / बाउचर्स का रिकन्सिलेशन आई0एफ0एम0एस0 पोर्टल से प्रत्येक माह की विलम्बत 05 तारीख तक कर बी0एम0 4 / मासिक व्यय विवरण राज्य मुख्यालय (नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन) को उपलब्ध कराया जाए।

संलग्नक-- यथोक्त

भवदीय,

Signed by
Hemendera Prakash Gangwar
Date: 22-01-2025 21:30:12
(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक

संख्याः नि0 1072 / 3-5 (कैम्पा- क्षतिपूरक वनीकरण) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. अपर सचिव, वन अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. प्रमुख वन संरक्षक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड,कैम्पा, देहरादून।
5. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल एवं कुमाऊँ तथा वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त एवं उत्तरी कुमाऊँ वृत्त को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित प्रभागों को आवंटित बजट के वार्षिक कार्ययोजना / नियमानुरूप व्यय के संबंध में अपने स्तर पर अनुश्रवण किए जाने का कष्ट करें।
7. समस्त सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड को ऑन लाईन आवंटित बजट की प्रति इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त को कोषागार डाटाबेस / मॉड्यूल में फीड किए जाने का कष्ट करें।
8. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन इकाई, आई.टी.एवं आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निर्गत बजट को विभागीय वेबसाइट में अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक

Print Date:-22/Jan/2025 08:52 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2024-2025)

Validity unknown

Digitally Signed:
Name: Mr Hemendera Prakash Gangwar
Date: 22-Jan-2025 20:53:58
Reason: HOD e-Approval
Location: Cyber

Head of Department : Principal Chief Conservator of Forest (4...)

Treasury-Gopeshwar(4000)

DDO-DFO Badrinath Forest DivisionGopeswar(4257)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-1072/3-5

आवंटन आई डी - H25010270083

अनुदान संख्या - 027

आवंटन पत्र दिनांक - 20-JAN-2025

लेखा शीर्षक -

2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	**04**	वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास
103	राज य प्रतिपूरक वनीकरण जमा	**03**	राज्य प्राधिकरण
01	क्षतिपूरक वनीकरण योजना		

2	4	0	6	0	4	1	0	3	0	3	0	1

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	42-अन्य विभागीय व्यय	53615000	3831000	20796694	57446000
	योग	53615000	3831000	20796694	57446000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 38,31,000 (Rupees Thirty Eight Lacs Thirty One Thousand Only)

Batch ID : DIS:4260:4260:2501:0107

Approval Status : e-Sign letter

Print Date:-22/Jan/2025 08:56 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2024-2025)

Validity unknown

Digitally Signed:
Name: Mr Hemendra Prakash Gangwar
Date: 22-Jan-2025 20:57:58
Reason: HOD e-Approval
Location: Cyber

Head of Department : Principal Chief Conservator of Forest (4251)

Treasury-Garhwal(4200)

DDO-DFO Garhwal Forest DivisionPauri (4256)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-1072/3-5

आवंटन आई डी - H25010270084

अनुदान संख्या - 027

आवंटन पत्र दिनांक - 20-JAN-2025

लेखा शीर्षक -

2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	04	वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास
103	राज य प्रतिपूरक वनीकरण जमा	03	राज्य प्राधिकरण
01	क्षतिपूरक वनीकरण योजना		

2	4	0	6	0	4	1	0	3	0	3	0	1

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	42-अन्य विभागीय व्यय	13917000	686000	3831718	14603000
	योग	13917000	686000	3831718	14603000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 6,86,000 (Rupees Six Lacs Eighty Six Thousand Only)

Batch ID : DIS:4260:4260:2501:0108

Approval Status : e-Sign letter

Print Date:-22/Jan/2025 09:02 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2024-2025)

Validity unknown

Digitally Signed
Name: Mr Hemendra Prakash Gangwar
Date: 22-Jan-2025 21:03:56
Reason: HOD e-Approval
Location: Cyber

Head of Department : Principal Chief Conservator of Forest (HoFF)
Treasury-Champawat(8800)

DDO-DFO Champawat Forest DivisionChampawat(4256)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-1072/3-5

आवंटन आई डी - H25010270085

अनुदान संख्या - 027

आवंटन पत्र दिनांक - 20-JAN-2025

लेखा शीर्षक -

2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	04	वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास
103	राज य प्रतिपूरक वनीकरण जमा	03	राज्य प्राधिकरण
01	क्षतिपूरक वनीकरण योजना		

2	4	0	6	0	4	1	0	3	0	3	0	1

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	42-अन्य विभागीय व्यय	19351000	4333000	9330275	23684000
	योग	19351000	4333000	9330275	23684000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 43,33,000 (Rupees Forty Three Lacs Thirty Three Thousand Only)

Batch ID : DIS:4260:4260:2501:0109

Approval Status : e-Sign letter

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण
(उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)
वन भवन, 85 राजपुर रोड़, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077
Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांकः– 818 /3-2 बजट (Interest)/24-25 दिनांक 25 जनवरी, 2025

सेवा में,

1. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, गढवाल वन प्रभाग।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2024–25 में वन विभाग के अनुदान संख्या–27 की राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा योजना के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2406–04–103–03–05 कैम्पा योजना अर्जित ब्याज" (Interest) मद में आवंटित किये गये बजट के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

संदर्भः– वित्त नियंत्रक वन विभाग, उत्तराखण्ड का पत्रांक नि0–1067/3–5 दिनांक 22 जनवरी, 2025

महोदय,

विषयक प्रकरण में उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सदर्भित पत्र से वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–27 की राज्य प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2406–04–103–03–05 कैम्पा योजना अर्जित ब्याज" (Interest) के मानक मद–42 अन्य विभागीय व्यय के अंतर्गत रू 88.80 लाख की धनराशि पत्र में उल्लिखित शर्तों एंव प्रतिबन्धों के साथ आवंटित की गई है। *बजट आवंटन से सम्बन्धित पत्र की प्रति कैम्पा वेबसाईड* www.ukcampa.org.in *पर fund released section में भी अपलोड है।*

अतः प्रश्नगत योजनान्तर्गत उक्त आवंटित धनराशि **अर्जित ब्याज मद में Incremental cost of CA/PCA at increased wage rate गतिविधि हेतु भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य संलग्नक–1 के अनुसार** कैम्पा के मानकों के अनुरूप पूर्ण करते हुए ससमय MIS प्रविष्टि करने के साथ ही निम्न दिशा निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें:–

1. राष्ट्रीय कैम्पा, भारत सरकार के पत्रांक–NA-15/2020-NA दिनांक 19.04.2024, पत्रांक–NA-15/2020-NA दिनांक 24.05.2024 पत्रांक–NA-15/2020-NA दिनांक 01.07.2024, (*कैम्पा वेबसाईड में अपलोड*) व शासकीय पत्रांक–1573/X-2-2024-12(07)2021(74356) दिनांक 11.10.2024 **(छायाप्रति संलग्न)** में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः पालन किया जाए।
2. **अन्य नियम व शर्तेः–**
   I. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
   II. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित *'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम–2016'* के अंतर्गत निर्गत *प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली– 2018'* में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।

उक्त के अतिरिक्त नियम 5(3) के अन्तिम प्रस्तर में निर्दिष्ट निम्न नियम का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए–

'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली– 2018' के नियम 5 के उपनियम (2) और (3) मे निर्दिष्ट कार्यकलाप राज्य सरकार के वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में वन भूमि पर किये जाने हैं, तो उक्त कार्यकलापों को कार्यपालक स्कीम के अनुसार किये जायेंगे;

और परन्तु यह कि राज्य सरकार के राज्य वन विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यपालक स्कीम के अनुसार वन भूमि पर उक्त कार्यकलाप ग्राम सभा या ग्राम वन प्रबन्धन समिति यथा स्थिति,के परामर्श से किये जायेंगे और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारम्परिक वन निवासी (वन अधिकरों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के उपबन्धो और इसके अन्तर्गत जारी दिशानिर्देशो, जहां कहीं लागू हो, के अनुरूप होंगे।

परन्तु यह भी कि यदि किसी मामले में उक्त कार्यकलाप उन क्षेत्रो में किये जाते हैं, जो अनुमोदित कार्य स्कीम द्वारा शामिल नहीं किये जाते हैं तब उप नियम (2) और (3) में अल्लिखित कार्यकलाप संबंधित ग्राम सभा या ग्राम वन प्रबन्धन समिति अथवा उस क्षेत्र पर अधिकार रखने वाले किसी प्राधिकरण के परामर्श से किया जायेगा और वे अनुसूचित जातियों और अन्य पारम्परिक वन निवासी (वन अधिकरों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के उपबन्धों और इसके अधीन जारी किये गये दिशानिर्देशों के अधीन जहां भी लागू हो, के अनुरूप होंगे।

   III. सभी स्थलीय कार्यों (Field Activities) की ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर प्रविष्टि के उपरांत ही सम्बन्धित व्यय के वाउचर लेखाबद्ध किये जायें।

IV. समस्त कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्राप्ति की वाउचर आधारित पूर्ण व सुस्पष्ट प्रविष्टि कैम्पा की MIS पर अनिवार्य रूप से की जाये, जिसमें अक्षांश व देशांतर (latitude & longitude), प्रासंगिक डाटा, सूचना, मानचित्र, KML फाइल व संपादित कार्यों के फोटोग्राफ्स (कार्य से पूर्व व कार्य पूर्ण होने के उपरांत) आदि सम्मिलित हों। इस प्रकार वाउचर आधारित प्रविष्टि MIS व मासिक लेखा (Classified) में समान होनी चाहिए।

V. कार्य को करायें जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत/ना हो/कराया न गया हो।

VI. उक्त धनराशि का व्यय, भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्रों में उल्लिखित सभी दिशा–निर्देशों/शर्तों के अनुसार किया जायेगा। साथ ही निर्माण कार्यो हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदित दर अनुसूची आधार के पर अनुमन्य मानकों अनुसार गठित आगणन व उस पर सक्षम स्तर से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्राविधिक, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासकीय पूर्व अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।

VII. कार्यों के संपादन हेतु समय–समय पर जारी समस्त संगत शासनादेशों/वित्तीय नियमों/प्रॉक्योरमेंट नियमावली का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

VIII. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक लेखा (E-7) व मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से निर्धारित प्रारूप पर उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।

IX. संपादित किये जाने वाले कार्यों में श्रम विभाग द्वारा समय–समय पर न्यूनतम मजदूरी दरों के सम्बन्ध में जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

X. अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में किया जाय।

XI. बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य संपादित न करायें जायें, अन्यथा की स्थिति में संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।

XII. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।

XIII. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए, जिसमें कार्य कराये जाने से पूर्व व कार्य कराये जाने के उपरांत लिया गया फोटोग्राफ, अल्पावधि के वीडियो क्लिप, जहां संभव हो वहां का ड्रोन शॉट व कार्य के सामाजिक–आर्थिक (Socio- Economic) प्रभाव सम्मिलित हों।

XIV. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर अनिवार्य रूप से सुस्पष्ट साईनेज स्थापित किया जाये, जिसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित", कार्य का नाम, वर्ष, स्थल का नाम, लागत, कार्य प्रभारी का नाम व अन्य सुसंसगत विवरण अंकित हो।

XV. स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किंसी भी दशा में नहीं किया जाय और अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित न किया जाय।

XVI. पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन संरक्षण प्रभाग), नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 10 अगस्त, 2018 के नियम (5) के बिन्दु संख्या (4) के उपनियम (1) में निर्दिष्ट रकम का उपयोग उपनियम में उल्लिखित कार्यकलापों के लिए नहीं किया जाए।

XVII. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में सक्षम स्तर से अन्तिम स्वीकृति प्राप्त होने से पूर्व किसी भी दशा में क्षतिपूरक वनीरकण, IWLMP एवं मृदा जल सरंक्षण आदि कार्य न किया जाए।

XVIII. उक्त धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि ऐसे व्यय से शहरी निकायों/नगर निकायों के लिए वर्तमान में प्रभावी आदर्श आचार सहिता का उल्लघंन न हो।

संलग्नक–यथोपरि

भवदीय,

(डॉ० समीर सिन्हा)
प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांकः– 818 /3-2 बजट (Interest)/ 24-25 दिनांकित

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
2. वन संरक्षक, गढवाल वृत्त उत्तराखण्ड पौडी।

प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

वित्त नियंत्रक, वन विभाग उत्तराखण्ड के पत्रांक नि0–1067 / 3–5 (कैम्पा–कैम्पा योजना से अर्जित व्याज) दिनांक 22–01–2025 से कैम्पा की "अर्जित व्याज" योजना के मानक मद 56– साहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के अन्तर्गत विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों को क्षतिपूरक अग्रिम मृदा कार्य की **Incremental Cost** हेतु आवंटित रू0 88.80 लाख की धनराशि के सापेक्ष भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य		
		(धनराशि लाख में)
प्रभाग / क्रियान्वयन अभिकरण का नाम	अर्जित व्याज (Interest) योजना (Incremental cost of CA/PCA at increased wage rate गतिविधि के मानक मद मानक मद 56– साहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में अग्रिम मृदा कार्य की Incremental Cost)	
	भौतिक (है0 में)	आवंटित धनराशि
1	2	3
बद्रीनाथ वन प्रभाग	62.02	76.55
गढ़वाल वन प्रभाग	10.32	12.25
All Total	72.34	88.80

Chief Executive Officer
Uttarakhand CAMPA

संख्या नि0–1067/3–5 (कैम्पा– कैम्पा योजना से अर्जित ब्याज)

प्रेषक

हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार
वित्त नियंत्रक,
वन विभाग, उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/
प्रभागीय वनाधिकारी, वन विभाग, उत्तराखण्ड।

देहरादून दिनांकः 22जनवरी, 2025

विषय :– वित्तीय वर्ष 2024–25 में वन विभाग के अनुदान सं0–27 की राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा परियोजना के अन्तर्गत लेखाशीर्षक''2406–04–103–03–05 –कैम्पा योजना से अर्जित ब्याज'' हेतु शासन से अवमुक्त बजट का आवंटन।

संदर्भ :– 1–शासनादेश संख्या 748/X-2-2024-12(07)2021 (E74343) दिनांक 01 जुलाई, 2024 अलाटमैन्ट आई.डी-S24070270001 दिनांक 01.07.2024 आवंटित बजट ₹2,50,00,000–(छायाप्रति पूर्व में प्रेषित)।

2–शासनादेश संख्या 1767/X-2-2024-12(07)2021 (E-72660) दिनांक 26 सितम्बर, 2024 अलाटमैन्ट आई.डी-S24090270013 दिनांक 30.09.2024 आवंटित बजट ₹19,78,000–(छायाप्रति पूर्व में प्रेषित)।

3–शासनादेश संख्या 1573/X-2-2024-12(07)2021 (E-74356) दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 अलाटमैन्ट आई.डी-S24100270007 दिनांक 11.10.2024 आवंटित बजट ₹12,98,00,000–(छायाप्रति पूर्व में प्रेषित)।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेशों द्वारा अनुदान संख्या–27, लेखाशीर्षक ''2406–04–103–03–05 – कैम्पा योजना से अर्जित ब्याज '' हेतु प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड के निवर्तन पर रखी गई कुल धनराशि ₹15,67,78,000/– (₹ पंद्रह करोड़ सड़सठ लाख अठहत्तर हजार मात्र) के सापेक्ष विभाग के आहरण वितरण अधिकारियों को पूर्व में अवमुक्त/जारी की गयी धनराशि ₹9,40,31,500/– (₹ नौ करोड़ चालीस लाख इकत्तीस हजार पॉच सौ मात्र) के अतिरिक्त विभागाध्यक्ष द्वारा वर्तमान में अवमुक्त/जारी किये जाने हेतु अनुमोदित की गयी धनराशि 88,80,000/–(₹ अट्ठासी लाख अस्सी हजार मात्र) को **IFMS** पोर्टल के माध्यम से ऑन लाईन विभाग के सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन अवमुक्त/जारी किया जाता है:–

1. आवंटित की गई धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व उपरिवर्णित शासनादेशों दिनांक 01 जुलाई 2024, 26 सितम्बर, 2024 तथा 11 अक्टूबर 2024 में उल्लिखित शर्तों/प्रावधानों का अनिवार्यतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
2. वित्तीय वर्ष 2024–25 में वर्तमान में अवमुक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार के पत्र संख्या– **NA-15/1/2020-NA** दिनांक 19.04.2024, पत्र संख्या– **NA-15/1/2020-NA** दिनांक 24.05.2024 एवं पत्र संख्या– **NA-15/1/2020-NA** दिनांक 01.07.2024 द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष एवं उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा।
3. आवंटित धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाए और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट आवंटन की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाए।
4. आवंटित धनराशि व्यय/आहरित किये जाने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त कर ली जाय।

–2/–

5. अवमुक्त की गयी धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड--1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन), वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड--5 भाग--1 (लेखा नियम), वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड--7 (वन लेखा नियम), बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 (समय--समय पर यथासंशोधित), वित्त विभाग के शासनादेश संख्या--201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024, दिनांक 22.03.2024 तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेशों आदि का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
6. आवंटित की गयी धनराशि के सापेक्ष प्रमुख वन संरक्षक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून द्वारा निर्धारित भौतिक / वित्तीय लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
7. मासिक व्यय विवरण / बाउचर्स का रिकन्सिलेशन आई0एफ0एम0एस0 पोर्टल से प्रत्येक माह की विलम्बत 05 तारीख तक कर बी0एम0 4 / मासिक व्यय विवरण राज्य मुख्यालय (नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन) को उपलब्ध कराया जाए।

संलग्नक-- यथोक्त

भवदीय,

Signed by
Hemendera Prakash Gangwar
Date: 22-01-2025 21:31:24
(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक

संख्याः नि0 1067 / 3--5 (कैम्पा-- कैम्पा योजना से अर्जित ब्याज) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः-- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. अपर सचिव, वन अनुभाग--2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. प्रमुख वन संरक्षक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड,कैम्पा, देहरादून।
5. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल तथा वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित प्रभागों को आवंटित बजट के वार्षिक कार्ययोजना / नियमानुरूप व्यय के संबंध में अपने स्तर पर अनुश्रवण किए जाने का कष्ट करें।
7. समस्त सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड को ऑन लाईन आवंटित बजट की प्रति इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त को कोषागार डाटाबेस / मॉड्यूल में फीड किए जाने का कष्ट करें।
8. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन इकाई, आई.टी.एवं आधुनिकीकरण,उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निर्गत बजट को विभागीय वेबसाइट में अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्नक--यथोक्त

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक

Print Date:-22/Jan/2025 08:43 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2024-2025)

Validity unknown

Digitally Signed
Name: Mr Narendra Prakash Gangwar
Date: 22-Jan-2025 20:45:28
Reason: HOD e-Approval
Location: Cyber

Head of Department : Principal Chief Conservator of Forest
Treasury-Gopeshwar(4000)

DDO-DFO Badrinath Forest DivisionGopeswar(4257)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-1067/3-5

आवंटन आई डी - H25010270081

अनुदान संख्या - 027

आवंटन पत्र दिनांक - 20-JAN-2025

लेखा शीर्षक -

2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	04	वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास
103	राज य प्रतिपूरक वनीकरण जमा	03	राज्य प्राधिकरण
05	कैम्पा योजना से अर्जित ब्याज		

2	4	0	6	0	4	1	0	3	0	3	0	5

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	56-सहायक अनुदान (समान्य गैर वेतन)	2144000	7655000	1879000	9799000
	योग	2144000	7655000	1879000	9799000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 76,55,000 (Rupees Seventy Six Lacs Fifty Five Thousand Only)

Batch ID : DIS:4260:4260:2501:0105

Approval Status : e-Sign letter

Print Date:-22/Jan/2025 08:46 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2024-2025)

Validity unknown

Digitally Signed:
Name: Mr Hemchandra Prakash Gangwar
Date: 22-Jan-2025 20:48:17
Reason: HOD e Approval
Location: Cyber

Head of Department : Principal Chief Conservator of Forest (4200)

Treasury-Garhwal(4200)

DDO-DFO Garhwal Forest DivisionPauri (4256)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-1067/3-5

आवंटन आई डी - H25010270082

अनुदान संख्या - 027

आवंटन पत्र दिनांक - 20-JAN-2025

लेखा शीर्षक -

2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	04	वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास
103	राज य प्रतिपूरक वनीकरण जमा	03	राज्य प्राधिकरण
05	कैम्पा योजना से अर्जित ब्याज		

2	4	0	6	0	4	1	0	3	0	3	0	5

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	56-सहायक अनुदान (समान य गैर वेतन)	2293000	1225000	0	3518000
	योग	2293000	1225000	0	3518000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 12,25,000 (Rupees Twelve Lacs Twenty Five Thousand Only)

Batch ID : DIS:4260:4260:2501:0106

Approval Status : e-Sign letter